## नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2003

सा.का.नि. 60.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में आचार्य (प्रतिरक्षा-रुधिर विज्ञान और रक्ताधान), उपाचार्य (प्रतिरक्षा-रुधिर विज्ञान और रक्ताधान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रतिरक्षा-रुधिर विज्ञान और रक्ताधान) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बगते हैं, अर्थात् :—

 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (प्रतिरक्षा–रूधिर विज्ञान और रक्ताधान), उपाचार्य (प्रतिरक्षा–रुधिर विज्ञान और रक्ताधान) और ज्येष्ठ प्राध्यानक (प्रतिरक्षा–रुधिर विज्ञान और रक्ताधान) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वीवत अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निर्हता :-- वह व्यक्ति,--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछछे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

				अनुसूर	ची	
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह- ज्येष्ठता अथ अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के <b>लिए</b> आयु-सीमा वा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनु- ज्ञेय है या नहीं
1	2 .	3	4	5	6	7
आचार्य (प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान और रक्ताधान)	1* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननु– सचिवीय	18600-500- 22100 रु. और प्रैक्टिस बंदी भत्ता	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नामालैंड, त्रियुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिन्ते तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान जोर निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए यिहित की गई है।)	1

224 GI/2003-6

[PART II—SEC. 3(i)]

गीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा को अवधि, यदि कोई हो <sup>ै∵</sup>
8	9	10
आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय की या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्तं विश्वविद्यालय/संस्था से डी.एम. (प्रतिरक्षा विज्ञान) या एम.डी. (प्रतिरक्षा-रूधिर विज्ञान और रक्ताधान)/एम.डी. (विकृति विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या रूधिर विज्ञान) या समतुल्य प्रतिरक्षा-रूधिर विज्ञान और रक्ताधान विभाग में दो वर्ष शिक्षण अनुभव या विशेष प्रशिक्षण। (iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का अनुभव जिसमें 4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में उपाचार्य/सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए। टिप्पण 1 :—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्थित अर्भ्यार्थयों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अर्भ्यार्थयों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अर्भ्यार्थयों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। वाछनीय :—इनडैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम् चार अनुसंधान प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में एक अनुसंधान प्रकाशन हो		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष ।
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया	दशा में वे श्रेणियां जिनसे जाएगा
11	12	
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अतं है) : I. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/ स्वशासी संगठनों/अनुसंधान संस्थाओ	संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निका

स्वशासी संगठनों/अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी :---(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने 16400-20000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं है।

II. उपाचार्य (प्रतिरक्षा-रूधिर विज्ञान और रक्ताधान) की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा ही है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया

284

[भाग II—खण्ड 3(i)]

12	जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता
	है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।
	पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी
	पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने
	के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वार
	नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
	(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी
	या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले
	धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि
	है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर
	नियुक्ति (जिसके अतंगीत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए
	अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख वो
	56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 13 भर्ती करने में किन परिस्थितियों में सं आयोग से परामर्श किया जाएगा 13 14 समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए : प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आ 1. गृह सचिव, चंडीगढ़, प्रशासन —अध्यक्ष करना आवश्यक है। 2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन —सदस्य 3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ —सदस्य					भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेव आयोग से परामर्श किया जाएगा		
					14		
					से परामर्श		
1	2	3	4	5	6	7	
उपाचार्य (प्रतिरक्षा रूधिर विज्ञान और रक्ताधान)	1* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।		16350-450- 18600-500- 20100 रु. और प्रैक्टिस बंदी भत्ता		50 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश्के के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	नहीं	

8	9	10
आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिपद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में सन्मिटीकत होना चाहिए।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से डी.एम.(प्रतिरक्षा विज्ञान) या एम.डी. (प्रतिरक्षा-रूधिर विज्ञान और रक्ताधान)/एम.डी. (विकृति विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या रूधिर विज्ञान) या समतुल्य प्रतिरक्षा-रूधिर विज्ञान और रक्ताधान विभाग में दो वर्ष शिक्षण अनुभव या विशेष प्रशिक्षण।		,

(iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञाता में किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में सहायक आचार्य/ज्येष्ठ पार्थ्याणक/प्राध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव।

8

िय्यथा 1:—अईताएं, अन्यथा सुअर्थित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिण्ण 2:—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय : इनडैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन।

अस्पताल, चंडीगढ़

11	12
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसे ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रतिरक्षा-रूधिर विज्ञान और रक्ताधान) जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्ष सेवा की है। प्रतिनियुवित (प्रतिनियुक्ति जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : I. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी : (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 14300-18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं है। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतय 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतय 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीम आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नह होगी।)
	14
<ol> <li>अध्यक्ष/सदस्य, सय लोग राजा जा गांग</li> <li>गृह सचिव, चंडीगढ़, प्रशासन</li> <li>सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन</li> <li>प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्वि ान महाविद्यालय और</li> </ol>	अव्यत्त जन्म संदरस्य

1	2	3	4	5		6		7
ष्ट्	3* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क' राजपत्रित	14300-400- 15900-450- 18150 रु. और प्रैक्टिस- बंदी भत्ता	लागू नहीं होता	सरकारी से जारी किए 5 वर्ष तक टिप्पण : निर्णायक होगी। (न मेघालय, नागालैंड, राज्य के द और स्पीर्गि उपखंड,	अधिक नहीं वकों के लिए केन्द्रीय सर गए अनुदेशों या आदेशों के शिथिल की जा सकती है आयु-सीमा अवधारित क तारीख भारत में अभ्यर्थिय के लिए नियत की गई अ कि वह अंतिम तारीख ज अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम त्रिपुरा, सिविकम, जम्मू-र तदाख खंड, हिमाचल प्रदे ते जिले तथा चम्बा-जिले अंदमान और निकोबार द्वी र्थयों के लिए विहित की ग	के अनुसार रने के लिए रं से आवेदन गंतिम तारीख ते असम, त, मणिपुर, कश्मीर श के लाहौल के पांगी प या लक्षद्वीप	नहीं
	8	en e	a anns dhai		4/ 4/ 11	9	10	
ते अनुसूचि गौर किसी २	(i) भारतीय आयु ायों में सम्मिलित राज्य आयुर्विज्ञान	1 कोई मूल रजिस्टर या	विश्वविद्यालय या	समतुल्य अ	601	लागू नहीं होता	एक वष्	
<ol> <li>किसी</li> <li>म.डी. (प्र म.डी. (प्र विवाणु विज्ञ वभाग में दे वभाग में दे वभाग में दे आयोग के टे<b>प्पण 1:</b> अनुसूचित शिथिल की यह राय है रखने वाले</li> </ol>	होना चाहिए । मान्यताप्राप्त विश् तिरक्षा-रुधिर विज्ञ ते वर्ष शिक्षण अनु तेत्तर अर्हता प्राप्त क युर्विज्ञान महाविद् दर्शक/ट्यूटर के 	ज्ञान और रक्त 1) या समतुल्य भव या विशेष रने के पश्चात् र ज्ञालय/शिक्षण क्रप में 3 वर्ष था सुअर्थित अ थल की जा स प्रहता(अर्हताएं नुसूचित जनज चयन के किस्	ाधान)/एम.डा. ( प्रतिरक्षा-रुधिर प्रतिक्षण । संबंधित विशेषज्ञता संस्था में प्राध्याप का शिक्षण अनुभग मर्भ्यर्थियों की दश कती है । ) संघ लोक सेवा गतियों के अभ्यर्थि ती प्रक्रम पर संघ के यों को भरने के	(विकृति विश्व वेज्ञान और रव क/रजिस्ट्रार/र व। 1 में संघ लोव आयोग के विवे र्षयों की दशा लोक सेवा आ लेए अपेक्षित	त्ताथान ताप्राप्त तीनियर इ.सेवा कानुसार में तब योग की अनुभव			
<ol> <li>किसी</li> <li>म.डी. (प्र म.डी. (प्र विवाणु विज्ञ वभाग में दे वभाग में दे वभाग में दे आयोग के टेप्प्पा 1: टेप्प्पा 2:- अनुसूचित शिथिल की</li> </ol>	मान्यताप्राप्त विश्य तिरक्षा-रुधिर विझ तिरक्षा-रुधिर विझ वर्ष शिक्षण अनु तेत्तर अर्हता प्राप्त क युर्विज्ञान महाविद्द दर्शक/ट्यूटर के प — अर्हताएं, अन्य विवेकानुसार शिषि — अनुभव संबंधी उ जातियों और अन्य जातियों और अन् का उनके लिए अ कि उनके लिए अ हों है ।	ज्ञान और रक्त 1) या समतुल्य भव या विशेष रने के पश्चात् र ज्ञालय/शिक्षण क्रप में 3 वर्ष था सुअर्थित अ थल की जा स प्रहता(अर्हताएं नुसूचित जनज चयन के किस्	ाधान)/एम.डा. ( प्रतिरक्षा-रुधिर प्रतिक्षण । संबंधित विशेषज्ञता संस्था में प्राध्याप का शिक्षण अनुभग मर्भ्यर्थियों की दश कती है । ) संघ लोक सेवा गतियों के अभ्यर्थि ती प्रक्रम पर संघ के यों को भरने के	(विकृति विश्व वेज्ञान और रव क/रजिस्ट्रार/र व। 1 में संघ लोव आयोग के विवे र्षयों की दशा लोक सेवा आ लेए अपेक्षित	त्ताथान ताप्राप्त तीनियर इ.सेवा कानुसार में तब योग की अनुभव	12		
<ol> <li>किसी</li> <li>म.डी. (प्र म.डी. (प्र विवाणु विज्ञ वभाग में दे वभाग में दे वभाग में दे वाले रिप्रिया की रिप्रियिल की यह राय है रखने वाले संभावना न</li> </ol>	मान्यताप्राप्त विश्र तिरक्षा-रुधिर विश ान या रुधिर विज्ञान वर्ष शिक्षण अनु तेत्तर अर्हता प्राप्त क युर्विज्ञान महाविद्य दर्शक/ट्यूटर के प —अर्हताएं, अन्य विवेकानुसार शिभि —अनुभव संबंधी र जातियों और अन् जातियों के तुर्हा है। 11	ज्ञान और रक्त 1) या समतुल्य भव या विशेष रने के पश्चात् र ज्ञालय/शिक्षण क्रप में 3 वर्ष था सुअर्थित अ थल की जा स प्रहता(अर्हताएं नुसूचित जनज चयन के किस्	ाधान)/एम.डा. ( प्रतिरक्षा-रुधिर प्रतिक्षण । संबंधित विशेषज्ञता संस्था में प्राध्याप का शिक्षण अनुभग मर्भ्यर्थियों की दश कती है । ) संघ लोक सेवा गतियों के अभ्यर्थि ती प्रक्रम पर संघ के यों को भरने के	(विकृति विश्व वेज्ञान और रव क/रजिस्ट्रार/र व। 1 में संघ लोव आयोग के विवे र्षयों की दशा लोक सेवा आ लेए अपेक्षित	ताप्राप्त ताप्राप्त तीनियर इ.सेवा कानुसार में तब योग की अनुभव होने की	12 1ू नहीं होता		
<ol> <li>किसी</li> <li>म.डी. (प्र म.डी. (प्र विवाणु विज्ञ वभाग में दे वभाग में दे वभाग में दे वाले रिप्रिया की रिप्रियिल की यह राय है रखने वाले संभावना न</li> </ol>	मान्यताप्राप्त विश्य तिरक्षा-रुधिर विझ तिरक्षा-रुधिर विझ वर्ष शिक्षण अनु तेत्तर अर्हता प्राप्त क युर्विज्ञान महाविद्द दर्शक/ट्यूटर के प — अर्हताएं, अन्य विवेकानुसार शिषि — अनुभव संबंधी उ जातियों और अन्य जातियों और अन् का उनके लिए अ कि उनके लिए अ हों है ।	ज्ञान और रक्त 1) या समतुल्य भव या विशेष रने के पश्चात् र ज्ञालय/शिक्षण क्रप में 3 वर्ष था सुअर्थित अ थल की जा स प्रहता(अर्हताएं नुसूचित जनज चयन के किस्	ाधान)/एम.डा. ( प्रतिरक्षा-रुधिर प्रतिक्षण । संबंधित विशेषज्ञता संस्था में प्राध्याप का शिक्षण अनुभग मर्भ्यर्थियों की दश कती है । ) संघ लोक सेवा गतियों के अभ्यर्थि ती प्रक्रम पर संघ के यों को भरने के	(विकृति विश्व वेज्ञान और रव क/रजिस्ट्रार/र व। 1 में संघ लोव आयोग के विवे र्षयों की दशा लोक सेवा आ लेए अपेक्षित	ताप्राप्त ताप्राप्त तीनियर इ.सेवा कानुसार में तब योग की अनुभव होने की			
<ol> <li>किसी</li> <li>म.डी. (प्र म.डी. (प्र विवाणु विज्ञ वभाग में दे वभाग में दे वभाग में दे वाले रिप्रिया की रिप्रियिल की यह राय है रखने वाले संभावना न</li> </ol>	मान्यताप्राप्त विश्र तिरक्षा-रुधिर विश ान या रुधिर विज्ञान वर्ष शिक्षण अनु तेत्तर अर्हता प्राप्त क युर्विज्ञान महाविद्य दर्शक/ट्यूटर के प —अर्हताएं, अन्य विवेकानुसार शिभि —अनुभव संबंधी र जातियों और अन् जातियों के तुर्हा है। 11	ज्ञान और रक्त 1) या समतुल्य भव या विशेष रने के पश्चात् र ज्ञालय/शिक्षण क्रप में 3 वर्ष था सुअर्थित अ थल की जा स प्रहता(अर्हताएं नुसूचित जनज चयन के किस्	ाधान)/एम.डा. ( प्रतिरक्षा-रुधिर प्रतिक्षण । संबंधित विशेषज्ञता संस्था में प्राध्याप का शिक्षण अनुभग मर्भ्यर्थियों की दश कती है । ) संघ लोक सेवा गतियों के अभ्यर्थि ती प्रक्रम पर संघ के यों को भरने के	(विकृति विश्व वेज्ञान और रव क/रजिस्ट्रार/र व। 1 में संघ लोव आयोग के विवे र्षयों की दशा लोक सेवा आ लेए अपेक्षित	ताप्राप्त ताप्राप्त तीनियर इ.सेवा कानुसार में तब योग की अनुभव होने की			

## New Delhi, the 22nd January, 2003

**G.S.R.** 60.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Professor (Immuno Haematology and Blood Transfusion), Reader (Immuno Haematology and Blood Transfusion) and Senior Lecturer (Immuno Haematology and Blood Transfusion) in the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, namely :—

1. Short title and commencement .—(1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Immuno Haematology and Blood Transfusion), Reader (Immuno Haematology and Blood Transfusion), (Group'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Disqualification .- No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entred into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

	SCH	IEDULE	
Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay
Name of post		(3)	(4)
<ol> <li>Professor         <ul> <li>(Immuno Haematology and Blood Transfusion)</li> </ul> </li> </ol>	(2) 01* (2002) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 18,600-500-22,100/- plus Non-practicing Allowance
Whether selection by merit or selection-cum-seniority or Non-selection post	Age limit for direct r	ecruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(5)	(6)	1992 - 1992 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 -	(7)
(5) Not applicable	Not exceeding fifty years (Relaxable for Government in accordance with the inst by the Central Government Note: The crucial date for	nt servants upto five years structions or orders issued nt).	Yes.

288

भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का रा	जपत्र : फरवरा 8, 2003/मा	ध 19, 1924	289
(6)			
prescribed for t Arunachal Pradesl Tripura, Sikkim, Kashmir State, La sub-division of	n India (and not the c hose in Assam, M h, Mizoram, Manipur Ladakh Division of J haul and Spiti distric Chamba district of nan and Nicobar	leghalaya, , Nagaland, Jammu and t and Pangi T Himachal	
equired for direct recruits	Whether age and educational qualifica- tions prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of a- probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by pro- motion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
Essential :	Age : No	One year for direct	Promotion/deputation (including short term
<ul> <li>(i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register;</li> <li>(ii) D.M. (Immunology) or M.D. (Immuno Haematology and Blood Transfusion)/ M.D. (Pathology or Bacteriology or Haematology) with two year's teaching experience or special training in the Department of Immuno Haematology and Blood Transfusion from a recognized University/Institution or equivalent.</li> <li>(iii) Ten year's experience in the profession after acquiring postgraduate qualification, out of which four year's should be as Reader/Associate Professor in a Recognized Medical College/Teaching Institution.</li> </ul>			(including short term contract) failing which by direct recruitment.
Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Caster or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient	/ n of es of ee		

	0	ŝ.

Aumber of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

### Desirable :

Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publication in International Journals.

In case of recruitment by promotion/deputation absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made

### (12)

Promotion/Deputation (including Short-term Contract)

- I. Officers of the Central/State Governments/ Union Territories/Statutory Bodies/Autonomous Organizations/Research Institutions :—
  - (a) (i) holding analogous posts on regular basis
    - OR
    - (ii) with two years' regular service in posts in the scale of pay of Rs. 16400– 20000/- or equivalent; and
  - (b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (8).
- II. The Departmental Officer in the grade of Reader (Immuno Haematology and Blood Transfusion) with two years' regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of Deputation/Contract including period of Deputation/Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five years<sup>5</sup>. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six year's as on the closing date of the receipt of application).

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : 1. Home Secretary, Chandigarh

If a Departmental Promotion

Committee exists, what is its

(13)

composition

Administration—Chairman 2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration—Member

 Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh—Member

Commission to be consulted in making recruitment (14) Consultation with Union

Public Service Commission is necessary on each occasion.

Circumstances in which

Union Public Service

(1), de A	(2)	(3)		(4)
2. Reader (Immuno Haematology and Blood Transfusion)	01* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.		0-450-18,600-500- plus Non-practicing ce
		Server Contacts	ion geneti (hai)	) and dealer of the
(5) •	(6)	and the second	(7)	Stilling over the second
Selection by merit.	Not exceeding fifty years. (Relaxable for Governmen in accordance with the inst by the Central Governmen Note: The crucial date for shall be the closing date for from candidates in India prescribed for those in Arunachal Pradesh, Mizor Tripura, Sikkim, Ladakh Kashmir State, Lahaul an sub-division of Chamba Pradesh, Andaman an Lakshdweep).	ructions or orders issued t). determining the age limit or receipt of applications (and not the closing date n Assam, Meghalaya, ram, Manipur, Nagaland, Division of Jammu and d Spiti district and Pangi a district of Himachal		<ul> <li>Service (or the service service)</li> <li>Service (or the service)</li></ul>

	(9)	(10)	(11)
<ul> <li>(i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian</li> </ul>	(9) Age : No Educational Qualifica- tions : Yes	One year for direct recruits	Promotion, failing which by deputation (includ- ing short term contract) failing both by direct recruitment.
<ul> <li>Medical Register;</li> <li>(ii) D.M. (Immunology) or M.D. (Immuno Haematology and Blood Transfusion)/ M.D. (Pathology or Bacteriology or Haematology) with two years' teaching experience or special training in the Department of Immuno Haematology and Blood Transfusion from a recognized University/Institution or equivalent.</li> <li>(iii) Five years' teaching experience in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Assistant Professor/Senior Lecturer/Lecturer in a Recognized Medical College/Teaching Institution.</li> </ul>		<ul> <li>A construction of a c</li></ul>	b) by a set of the state of
Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission ir case of candidates otherwise well qualified.	A second s	(ζήλει ** (ζήλει **	a Statistics Statistics (Statistics) Statistics (Statistics)
Note 2:	I have shown		

The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of

224 GI/2003-7

10

· Tak

# candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(8)

## **Desirable** :

Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals.

# (12) Promotion :

Senior Lecturer (Immuno Haematology and Blood Transfusion) with two year's regular service in the grade.

**Deputation (including short term contract) :** Officers of Central/State Governments/Union Territories/Statutory Bodies/Autonomous Organizations/Research Institutions :—

(a)(i) holding analogous posts on reglar basis.

### OR

- (ii) with two year's regular service in posts in the scale of pay of Rs. 14300-18300/or equivalent; and
- (b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (8).

The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of Deputation/Contract including period Deputation/Contract in another of ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five year's. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six year's as on the closing date of the receipt of applications). \*

(13) Group 'A' Departmental

- Promotion Committee (for considering promotion) : 1. Chairman/Member, Union Brownet and Brownet an
- Public Service Commission—Chairman
- 2. Home Secretary, Chandigarh Administration—Member
- Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration—Member.
   Principal, Government Medical
- College and Hospital, Chandigarh —Member

(14)

Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including shortterm contract).

bihalahi Asiaali

D M. (Internet/Operators) (2.511) (Internet incurationary and Blood Transferrer M.D. (Embelogy or Lactorshipg) or Presenting, Criticity (Criticity), Criticity Criticity of Structure (Criticity), Criticity (Criticity), Criticity (Criticity), Criticity (Criticity), Criticity, Criticity, Criticity (Criticity), Criticity, Criticity, Criticity (Criticity), Criticity, Criticity, Criticity, Criticity (Criticity), Criticity, Criti

(iii) into years' totoliumi experience in the concerned speciality after Acquiring posteralizate qualification Associate voltazionification i ectiviti former uno factorizationer de allego l'esching finationer.

Service Commission of the case

			Freedom and the television of the second	- 22
	(1)	(2)	(3)	-
3.	Senior Lecturer (Immuno Haematology and Blood Transfusion)	03* (2002) *Subject to variation dependent on workload	General Central ServiceRs. 14,300-400-15,900-450-Group 'A' Gazetted18,150/- plus Non-practicingNon-MinisterialAllowance.	

[भाग II—खण्ड 3(i)]	(6)	(7)	
(5) Not applicable	Not exceeding fifty year's. (Relaxable for Government servants upto five year's in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and	No.	

	Addition of the second second second		
	. (9)	(10)	(11)
(8)	Not application	One year	Direct recruitment

Essential:
(i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.

- (ii) D.M. (Immunology) or M.D. (Immuno Haematology and Blood Transfusion)/ M.D. (Pathology or Bacteriology or Haematology) with two year's teaching experience or special training in the Department of Immuno Haematology and Blood Transfusion from a recognized University/Institution or equivalent.
- (iii) Three year's teaching experience in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Lecturer/ Registrar/Senior Resident/Domonstrator/ Tutor in a recognized Medical College/ Teaching Institution.

Note 1: Qualiciations are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 8, 2003/MAGHA 19, 1924 294 [PART II-SEC. 3(i)] (8) المعتر Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts secon ed for them. (12) (13) (14) Group 'A' Departmental Promotion Committee (for con-Consultation with Union Not applicable Public Service Commission sidering confirmation) : is necessary. 1. Home Secretary, Chandigarh Administration-Chairman 2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration-Member 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh—Member.
Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh—Member [No. V. 24011/12/2002-ME Desk-II]

S. K. MISHRA, Under Secy.

### New Delhi, the 31st August, 2004

**G.S.R.** 305.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturer-cum-Epidemiologist (Community Medicine) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturer-cum-Epidemiologist (Community Medicine) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Senior Lecturer-cum-Epidemiologist (Community Medicine) (Group 'A' Gazetted Post) Recruitment Rules, 2002, in sub-rule (1) of rule 1, for the figures "2002", the figures "2003" shall be substituted.

[No. V.-24011/12/2002-ME Desk-II]

S. K. MISHRA, Under Secy.

Footnote: The Principal rules were published vide number G.S.R. 59, dated the 22nd January, 2003.

## नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2004

सा. का. नि. 306.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान और रक्ताधान) उपाचार्य (प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान और रक्ताधान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान और रक्ताधान) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान और रक्ताधान) उपाचार्य (प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान और रक्ताधान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान और रक्ताधान) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान और रक्ताधान) उपाचार्य (प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान और रक्ताधान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान और रक्ताधान) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 के उपनियम (1) में ''2002'' अंकों के स्थान पर ''2003'' अंक रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों की अनुसूची में क्रम संख्यांक से संबंधित पद के सामने,—

(i) स्तंभ 5 के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"चयन"

(ii) स्तंभ 13 के अधीन प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :---

''समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :---

1.	गृह सचिव, चंडीगढ, प्रशासन	—अध्यक्ष	
2.	सचिव, अयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन	सदस्य	
3.	प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ	सदस्य	
	संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष,		
	सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ	—सदस्य''	
×		[सं. वी24011/12/2002-एम ई डेस्क-II]	

एस॰ के॰ मिश्रा, अवर सचिव

पाद टिप्पणे : मूल नियम सा.का.नि. सं. 60, तारीख 22 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

1826

the second s	•
[भाष्य] खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : सितम्बर 11, 2004/भाद्र 20, 1926	\$29
New Delhi, the 31st August, 2004	
G.S.R. 306In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President	
hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Immuno Haematology and Blood Transfusion), Reader (Immuno Haematology and Blood Transfusion), and Senior Lecturer (Immuno Haematology and Blood Transfusion) (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002, namely :	यकी
1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Immuno Haematology and Blood Transfusion), Reader (Immuno Haematology and Blood Transfusion) and Senior Lecturer (Immuno Haematology and Blood Transfusion) (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.	
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.	
2 In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Immuno Haematology and Blood	ह क,
Transfusion), Reader (Immuno Haematology and Blood Transfusion) and Senior Lecturer (Immuno Haematology and Blood Transfusion) (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules) in sub- rule (1) of rule 1, for the figures "2002", the figures "2003" shall be substituted.	
3. In the said rules, in the Schedule against the post appearing at serial number 2,-	
(i) for the entry under column 5, the following entry shall be substituted namely :	
(i) for the entry under column 5, the following entry shart be substituted namery . "Selection",	
(ii) after the entry under column 13, the following entries shall be inserted namely :	रामर्श
"Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation), consisting of :	
1. Home Secretary, Chandigarh Administration — Chairman	प्र.)]
2. Secretary, Medical Education and Research Chandigarh Administration —Member	प्तचिव
3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Member	2 द्वारा
4. Professor and Head of the concerned Department of Government	
Medical College and Hospital, Chandigarh	
[No. V-24011/12/2002-ME Desk-II]	
I think sit the " soot " IP THE " SOCT " P THE " S R.K. MISHRA, Under Secy.	ident
Footnote: The Principal rules were published vide number G.S.R. 60, dated the 22nd January, 2003.	tules.
नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2004	· ·
गा करते हिंद 307 —ग्राष्ट्रपति संविधान के अनच्छेद 309 के परन्तक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान	ment)
सार्व कार्ण गण 307, र र प्राण, राज्य कार्य अंद्र प्राध्यापक (सामुदायिक चिकित्सा) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, सांख्यिकी-विद्-सह-ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामुदायिक चिकित्सा) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—	
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम। सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, सांख्यिकी-विद्-सह-ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामुदायिक चिकित्सा) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।	entry
(2) में प्रचलन में प्रवर्णन की त्यपित को पतन होंगे।	
(2) य राजपत्र में प्रफारान का गाराज का प्रवृत्त संगण 2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, सांख्यिकी-विद्-सह-ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामुदायिक चिकित्सा) (समूह	
2. सरकारी आयुविज्ञान महाविधालय आर अस्पति, अलगढ़, सालगत्न गर्भु सर 'क' राजपत्रित पद्) भर्ती नियम, 2002 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 के उपनियम (1) में ''2002'' अंकों के स्थान पर'' 2003'' अंक रखे जाएंगे।	mart
3. उक्त नियमों की अनुसूची के स्तंभ 4 के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर '' 14300-400-15900-450-18150 रु॰'' प्रविष्टि रखी जाएगी।	Union
[सं॰ ची॰-24011/12/2002-एम ई डेस्क-II]	dmn.)]
एस॰ के॰ मिश्रा, अवर सचिव	r Secy.
<b>पाद टिप्पण :</b> मूल नियम सा॰का॰नि॰ सं. 57, तारीख 22 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।	dated
पाद टिप्पण : मूल नियम सावकीवनिव स. 57, तरिख 22 वनवरी, 2005 केल प्रनेतरिय निर्देश हैं।	
263867/04-5	

MAEL.